(69)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक/ /2017 रिव्यू (पुनरावलोकन)

आवेदक ------- शरीफ राईन पुत्र स्व. हाजीखुदाबक्श आयु 60 वर्ष निवासी बालागंज मौहल्ला, तहसील व जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

III/पुनर्विलोकन/सीहोर/भू०रा०/2017/3601

विरूद्ध

अनावेदकगण-----

1. राजेश पाल आत्मज श्री देवचन्द गाडरी आयु 38 वर्ष निवासी ग्राम तालपुरा माना, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (मूल प्रकरण में आवेदक क्र.1)
2. सत्येन्द्र पाल सिंह आत्मज श्री करन सिंह जाट आयु 42 वर्ष निवासी न्यू कॉलोनी बुधनी जिला सीहोर (मूल प्रकरण में आवेदक क्र.2)
3. श्रीमती शबनम पुत्री श्री अलावक्श पत्नि मोहम्मद आशिक आयु 32 वर्ष निवासी महाजनी वार्ड तहसील व जिला नरसिंहपुर, (मूल प्रकरण में अनावेदक) .... उत्तरवादीगण

श्री प्रदीप श्रीवास्तव एड. द्वारा आज दि. 29-9-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 29-9-17

CF 06.10.17

रिव्यू आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू.रा.संहिता विरुद्ध आदेश माननीय श्री सोहेल अली सदस्य के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक निगरानी 401–दो/2017 शरीफ राईन विरुद्ध राजेश पाल आदि में पारित आदेश दिनांक 22.8.2017

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से रिव्यु आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, आवेदक ने माननीय न्यायालय में तहसीलदार महोदय बुधनी जिला सीहोर द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/अ–6/16–17 लंबित है जिसके पक्षकार राजेश पाल व अन्य–1 बनाम शबनम बानो हैं में प्रारंभिक आपत्ति पेश की थी जो दिनांक 27.01.2017 को निरस्त कर दी गई के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की थी।
2. यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित बहस का कोई हवाला नहीं दिया गया है जबकि आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय में लिखित तर्क में न्याय दृष्टांतों के प्रस्तुत किये गये थे।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन / पुर्नावलोकन / सीहोर / भू.रा. / 2017 / 3601

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–1–18	आवेदक अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2–यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 401–दो / 2017 में पारित आदेश दिनांक 22.8.17 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक रिव्यु तीन / पुर्नावलोकन / सीहोर / भू.रा. / 2017 / 3601 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण क्रमांक निगरानी 401–दो / 17 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 22.8.17 से किया जा चुका है। 4– तीन / पुर्नावलोकन / सीहोर / भू.रा. / 2017 / 3601 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं। उनके	

विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य